

मद सं०	विषय	निर्णय	अनुपालन आख्या
1/131	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 02-11-2012 के कार्यवृत्त की पुष्टि ।	बोर्ड द्वारा दिनांक 02-11-2012 के कार्यवृत्त की पुष्टि सर्व सम्मति से की गई ।	कार्यवाही वांछित नहीं है ।
2/131	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 02-11-2012 के कार्यवृत्त पर अनुपालन आख्या ।	बोर्ड द्वारा दिनांक 02-11-2012 के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या अवलोकित की गई ।	कार्यवाही वांछित नहीं है ।
3/131	गाजियाबाद में कियान्वित की जा रही हाईटैक/ इन्टीग्रेटेड टाउनशिप योजनाओं की प्रगति के संबंध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव अवलोकित किया गया ।	कार्यवाही वांछित नहीं है ।
4/131	गाजियाबाद विकास क्षेत्र में ट्रान्सफेरेबल डवलपमेंट राईट बाईलाज-2012 की स्वीकृति के संबंध में ।	विस्तृत सुस्पष्ट प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये ।	प्राधिकरण बोर्ड के निर्णयानुसार प्रस्ताव पुनः विचारार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है ।
5/131	कोयल एन्क्लेव योजना के तलपट मानचित्र की स्वीकृति के संबंध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।	प्राधिकरण बोर्ड के निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है ।
6/131	मानचित्र स्वीकृति के क्रम में बाह्य विकास शुल्क को किशतों में लिये जाने की सुविधा के संबंध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।	प्राधिकरण बोर्ड के निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है ।
7/131	राजस्व ग्राम प्रहलाद गढी के खसरा संख्या 675 आंशिक की भूमि पर प्रस्तावित पेट्रोल पम्प /फिलिंग स्टेशन की स्वीकृति के क्रम में आवेदक के प्रार्थना पत्र दिनांक 24-09-2012 के संबंध में ।	बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये निम्न समिति द्वारा सर्व प्रथम प्रस्ताव का विस्तृत परीक्षण कर आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये :- 1- श्री एस0के0 जमान, चीफ कोआर्डिनेटर प्लानर, एन. सी. आर. सेल, गाजियाबाद । 2- श्री टी0आर0 यादव, वित्त नियंत्रक, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण । 3- श्री डी0सी0गुप्ता, सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, मेरठ-(मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ.प्र. लखनऊ के प्रतिनिधि) ।	समिति की आख्या प्राप्त हो गई है । प्रस्ताव पृथक से इसी बैठक में रखा जा रहा है ।
8/131	गाजियाबाद महायोजना - 2021 के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना -2021 में प्राविधानित ग्रीन बफर को अंगीकृत किये जाने के संबंध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।	प्राधिकरण बोर्ड के निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है ।
9/131	गुप हाउसिंग , व्यवसायिक एवं बहुखण्डीय भवनों में पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किये जाने के संबंध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।	प्राधिकरण बोर्ड के निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है ।
10/131	श्री रमेश खन्ना को भूखण्ड संख्या 4/243 वैशाली निरस्त भूखण्ड के विकल्प में नवसृजित भूखण्ड संख्या 9/93 वैशाली दिये जाने के संबंध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।	भूखण्ड संख्या-93, वैशाली को आवंटित कर आवंटन का सूचना पत्र जारी किया जा चुका है ।
11/131	शासनादेश सं० 1106/ 9-आ-1-(आ00)बोर्ड बैठक/2001 दिनांक 1-3-01 के बिन्दु-18 में इंगित बिन्दुओं पर सूचना ।	बोर्ड द्वारा शासनादेश संख्या 1106 /9-आ-1-(आ0ब0) बोर्ड बैठक/ 2001 दिनांक 01-3-2001 के बिन्दु -18 में इंगित बिन्दुओं पर दी गयी सूचनाओं का अवलोकन किया गया ।	कार्यवाही वांछित नहीं है । विस्तृत विवरण पुनः बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है ।
12/131	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित सम्पत्तियों पर मानचित्र स्वीकृति उपरान्त सम्पूर्ति प्रमाण पत्र के साथ-साथ भवन कर/जल कर के साथ अन्य प्रमाण पत्रों को सम्पूर्ति की तिथि माने जाने के संबंध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।	बोर्ड निर्णय अनुसार लम्बित प्रकरणों में कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है ।

13/131	इन्द्रप्रस्थ गैस लि0 को मधुवन बापूधाम योजना एवं इन्द्रप्रस्थ की योजना में सी.एन. जी. फिलिंग स्टेशन हेतु भूखण्ड आवंटित किये जाने के संबंध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।	इन्द्रप्रस्थ गैस लि0 को मधुवन बापूधाम योजना एवं इन्द्रप्रस्थ योजना में सी0एन0जी0 फिलिंग स्टेशन हेतु भूखण्ड आवंटित कर दिये गये हैं ।
14/131	वैशाली आवासीय योजना संख्या 814 व 815 के अन्तर्गत वर्ष 2011 में विज्ञापित 239 ई0डब्लू0एस0 4 मंजिले एवं 40 दो कमरे के अपार्टमेंट (10 मंजिले) भवनों का अन्तिम मूल्य, योजना के घोषणा के समय निर्धारित मूल्य के समतुल्य घोषित करने के संबंध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया । यह भी निर्देश दिये गये कि इन भवनों के मूल्यांकन वृद्धि में जो छूट बोर्ड द्वारा दी जा रही है, की प्रतिपूर्ति भावी योजनाओं से की जाये ।	बोर्ड निर्णय अनुसार कार्यवाही कर दी गयी है ।
15/131	प्राधिकरण द्वारा आवंटित गुप हाऊसिंग भूखण्ड संख्या जी0एच0-11 व आवासीय भूखण्ड संख्या पी0एल0-10 अहिंसा खण्ड-2 इन्दिरापुरम को आमेलित कर गुप हाऊसिंग अनुमन्य किये जाने के संबंध में ।	बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये निम्न समिति द्वारा सर्व प्रथम प्रस्ताव का विस्तृत परीक्षण कर आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये :- 1- श्री एस0 के0 जमान, चीफ कोआर्डिनेटर प्लानर, एन. सी. आर. सेल, गाजियाबाद । 2- श्री डी0सी0गुप्ता, सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, मेरठ-(मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ.प्र. लखनऊ के प्रतिनिधि) ।	समिति की आख्या प्राप्त हो गई है । प्रस्ताव पृथक से इसी बैठक में रखा जा रहा है ।